"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2017 — फाल्गुन 30, शक 1938

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2017

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2016/रास/यू. 3/1400. — इस सचिवालय के द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 1164/एफ 1-1/2016/रास/यू. 3 दिनांक 06-03-2017 में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 (2) में निहित प्रावधान अनुसार बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर में कुलपति के पद के लिए न्यूनतम पांच व्यक्तियों का एक पेनल अनुशंसित करने के लिए कुलाधिपति द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की जाती है :-

1.	Shri S. K. Mishra, IAS (Retd.) Former Chief Secretary Government of Chhattisgarh 37, Maulshree Vihar, Purena Raipur - 492006 (C. G.)	-	कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति
2.	Prof. (Dr.) A. K. Bakhshi Vice Chancellor PDM University, Sector -3A Bahadurgarh - 124507 (Haryana)	-	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति.
3.	Dr. Ishwar Singh Chauhan 4, Rishi Nagar, Char Imli Bhopal - 462016 (M. P.)	-	कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति

2. श्री एस. के. मिश्र, को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

3. उपर्युक्त समिति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) के प्रावधान अनुसार यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छ: सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को पेनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.